FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

पोकरराम बनाम हडमान राम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 101/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/04/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
06/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फ़ेहरिस्त तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 27/04/2022 को पेश हो।	
27/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फ़ेहरिस्त तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 18/05/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या- 1 से 7 व 9 से 12 के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या- 8 का नोटिस तामिल बदस्तूर तामिल अदालत। विपक्षी संख्या 1 से 7 व 9 से 11 का वकील तामिल सन्तुष्ट। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या- 8 प्रार्थी के खेत पड़ोसी नहीं है भूल से पक्षकार बनाया गया है इसलिए विपक्षी संख्या- 8 का नाम विलोपित किया जाकर संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या- 8 का नाम विलोपित किया जाता है व संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जाता है। लिहाजा बहस हेतु पत्रावली दिनांक- 23/06/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड कलक्टर (SDO) नागौर जिला नागौर

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/06/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1015 दिनांक : 23/6/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. पोकरराम पुत्र जैसाराम, जाति जाट, निवासी किसने का तला, पटवार मण्डल बाटाडु, तहसील बायतु (बाड़मेर)	1. हड़ुमानराम दत्तक पुत्र जगमालराम वगैरा 11, जाति जाट, निवासी किसने का तला, पटवार मण्डल बाटाडु, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 101 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – किसने का तला, पटवार मण्डल – बाटाडु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1834 / 1933, 1983 / 1844, 1984 / 1920 रकबा क्रमशः 03.0418, 2.7344, 2.3137 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1016-20 दिनांक :

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पोकरराम पुत्र जैसाराम,
4. विप्रार्थी श्री हड़ुमानराम दत्तक पुत्र जगमालराम वगैरा 11,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु